



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय उरई 4828/5713, भूतल प्रथम एवं तल, तुलसी धाम के सामने, पटेल नगर उरई,
जिला जालौन (उ.प्र.) दूरभाष:- 8188089562

सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सपठित प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग सूचना जारी किया था जिसमें ऋणियों और जमानतकर्ताओं से उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस के अनुसार राशि चुकाने के लिए कहा गया था लेकिन ऋणियों और जमानतकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं ने राशि चुकाने में असफल रहे, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित नियम 4 और/या नियम 8 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपत्ति (जिसे इसके बाद उक्त संपत्तियां कहा जाएगा) का कब्जा ले लिया है। और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (a) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संपत्ति की बिक्री करके बैंक के बकाए की वसूली करने का प्रस्ताव किया जाता है, इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणियों और जमानतकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/प्रभारीत है, जिसका रचनात्मक/भौतिक प्रतीकात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे दी गई तालिका में बताई गई तारीख पर 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर, बकाये के वसूली के लिए बेचा जाएगा।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणियों और जमानतकर्ताओं को फिर से सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत नीचे बताई गई अचल संपत्तियों के लिए BID/टेंडर/कोटेशन आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोली लगाने वालों को आमंत्रित किया जाता है कि वे नीचे बताई गई सभी शर्तों को पूरा करते हुए, एक सीलबंद लिफाफे में अपनी बिड उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, उरई में जमा करें।

क्र. सं.	ऋणी का नाम/बंधककर्ता का नाम/ शाखा का नाम/खाता संख्या	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि/नीलामी/कब्जा/ मांग सूचना/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित धनराशि/ ईएमडी धनराशि (₹) ईएमडी दिनांक/बिड खुलने की तिथि
1.	ऋणी-श्री देवेन्द्र तिवारी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी (प्रोप. मेसर्स न्यू बज्रंग ट्रेडर्स) पता- ग्राम वसीठ, कोंच, जिला जालौन- 285205, जमानतकर्ता (बंधककर्ता) - श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश उर्फ लखन तिवारी पता-ग्राम वसीठ, कोंच, जिला जालौन-285205 जमानतकर्ता- श्री अमित तिवारी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी पता- ग्राम वसीठ, कोंच, जिला जालौन-285205 शाखा- कोंच खाता संख्या- 610660500017806	आवासीय प्लॉट का सभी भाग एवं खण्ड, अराजी नंबर 123 का भाग जोकि ग्राम सीकरी कोंच, मौजा और परगना कोंच, जिला जालौन में श्रीमती शशि देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश उर्फ लखन तिवारी के नाम से स्थित है। तथा यह सम्पत्ति बही नंबर 01, जिल्द नंबर 1847, पृष्ठ संख्या 299 से 320, पंजीकरण संख्या 2560 के द्वारा दिनांक 04.06.2016 को उपनिबंधक कोंच के कार्यालय में पंजीकृत है। क्षेत्रफल: 50 × 60 फीट = 3000 वर्ग फीट (278.70 वर्ग मीटर) चौहद्द-पूरब- रज्जन अग्रवाल का प्लॉट पश्चिम: विक्रेता (चोखेला) का प्लॉट उत्तर : 3.04 मी चौड़ा रास्ता दक्षिण: विक्रेता (चोखेला) का प्लॉट	Rs. 11,88,591.64/- + ब्याज एवं अन्य खर्च नीलामी कि तिथि-26.02.2026 2.00 PM बजे से 5.00 PM बजे तक मांग सूचना कि तिथि 22.09.2025 कब्जे कि तिथि 19.12.2025 कब्जे का प्रकार सांकेतिक	Rs. 14,50,000 11 बजे तक 26.02.2026 पूरवाह 11.00 बजे तक 26.02.2026 अपराह्न 2 बजे से 5.00 बजे तक

बिक्री के नियम और शर्तें- (1) इच्छुक बोली लगाने वालों को अपनी बोली सीलबंद लिफाफों में जमा करनी होगी (लिफाफे पर प्रकाशन की तारीख लिखी होनी चाहिए) (2) बोली लगाने वालों को बोली के साथ अग्रिम रूप से आरक्षित मूल्य का 10% बयाना राशि के रूप में DD/बैंकर्स चेक के रूप में 'प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक', क्षेत्रीय कार्यालय, उरई 4828/5713, भूतल प्रथम एवं तल, तुलसी धाम के सामने, पटेल नगर उरई, जिला जालौन के पक्ष में जमा करना होगा। सबसे अधिक बोली लगाने वाले (जो आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए) को सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा और असफल बोली लगाने वालों की EMD बिना किसी ब्याज के एक सप्ताह के भीतर वापस भेज दी जाएगी। (3) सफल बोली लगाने वाले को अगले दिन बोली राशि का 25% (EMD सहित) DD/बैंकर्स चेक/NEFT के रूप में जमा करना होगा और बाकी 75% बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। (4) प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण या पूर्व सूचना के किसी भी बोली/सबसे ज्यादा बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री नीलामी की तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (5) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया शुल्क/भार/कर/सरकारी बकाया और अन्य पार्टी के दावों और बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (6) संपत्ति रिजर्व मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेची जाएगी। सफल बोली लगाने वाले को सभी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क स्वयं वहन करने होंगे। (7) यदि यह पाया जाता है कि दो या दो से अधिक बोली लगाने वालों की बोली राशि समान है, तो प्राधिकृत अधिकारी उनके बीच नई बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (8) बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। संपत्तियां 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है वैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएंगी। (9) यदि कोई उधारकर्ता/गारंटर नीलामी से पहले बैंक को पूरा बकाया चुका देता है, तो नीलामी स्थगित कर दी जाएगी। इस प्रकार, ऋणियों एवं जमानतकर्ताओं के पास नीलामी से पहले गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने का मौका है, बशर्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13 के सब-सेक्शन (8) के तहत बैंक को पूरी रकम और प्रभार चुका दें। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियम 2002) (10) संपत्तियों के बारे में संतुष्ट होना और पुष्टि करना बोली लगाने वालों की एकमात्र जिम्मेदारी है। वे किसी भी कार्य दिवस पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संबंधित शाखाओं से समय लेकर संपत्तियों का दौरा/निरीक्षण कर सकते हैं। (11) यह नोटिस आम जनता और विशेष रूप से ऋणियों और जमानतकर्ताओं को दिया जाता है। (12) उपरोक्त नीलामी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित शाखा से संपर्क करें।

सरफेसी अधिनियम-2002 के तहत बिक्री का नोटिस

ऋणियों और जमानतकर्ताओं एक कानूनी वारिसों को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि वे नीलामी से पहले बैंक को बताई गई सभी बकाया रकम चुका दें, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो गिरवी रखी गई संपत्ति बताई गई तारीख पर बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया रह जाता है तो उसे उचित ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक- 24.01.2026

स्थान- उरई

प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक